प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1844/2007

याचिकाकर्ता - बैधनाथ नाग, पिता – देवी सिंह, आयु लगभग 30 वर्ष, व्यवसाय – कोटवार, निवासी – ग्राम कोहकापाल, तहसील जगदलपुर, जिला जगदलपुर (बस्तर) (छ.ग.)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. राजस्व मंडल, बिलासपुर, द्वारा अध्यक्ष, श्रृंखला न्यायालय, जगदलपुर (छ.ग.)

2. कलेक्टर, जगदलपुर, जिला – जगदलपुर (छ.ग.)

3. अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर, जिला – जगदलपुर (छ.ग.)

4. अनुविभागीय अधिकारी, जगदलपुर, जिला – जगदलपुर (छ.ग.)

5. तहसीलदार, जगदलपुर, जिला – जगदलपुर (छ.ग.)

6. तुलसी राम, पिता – राजीबो मेहरा, आयु लगभग 35 वर्ष

7. श्रीमती पदमा बाई, पति – जीवनाथ, आयु लगभग 55 वर्ष

8. सोनाधर, पिता – माला मेहरा, आयु लगभग 40 वर्ष

9. फूलचंद, पिता – खोगेश्वर मेहरा, आयु लगभग 24 वर्ष

उत्तरवादी क्रमांक 6 से 9 सभी निवासी – ग्राम कोहकापाल, तहसील जगदलपुर, जिला जगदलपुर (बस्तर) (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एफ.एस. खरे, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 से 5/राज्य की ओर श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

.....

आदेश

(दिनांक 29 मार्च, 2007 को पारित)

(1) यह याचिका भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें दिनांक 19.01.2007 (अनुलग्नक पी./8) को राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश, जो कि अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर द्वारा दिनांक 19.06.2006 (अनुलग्नक पी./6) को पारित आदेश के विरुद्ध था, को चुनौती दी गई है।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व मंडल, बिलासपुर द्वारा दिनांक 19.01.2007 को पारित आदेश तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण, तथ्यों के प्रतिकूल तथा विधि के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक श्री जीवनाथ, जो श्रीमती पदमा बाई के पति हैं, ग्राम कोहकापाल, तहसील जगदलपुर में कोटवार के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने वर्ष 2000 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात् नायब तहसीलदार, बकावंड द्वारा दिनांक 08.03.2000 को सार्वजनिक घोषणा कर आवेदन आमंत्रित किए गए। उक्त नायब तहसीलदार ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 08/क-56/99-2000 दर्ज कर, पक्षकारों की सुनवाई की तथा दिनांक 09.05.2000 को उनके साक्षियों का परीक्षण किया। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव दिनांक 18.06.2000 के माध्यम से उत्तरवादी क्रमांक 8, सोनाधर मेहरा के नाम की अनुशंसा कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु की। नायब तहसीलदार, बकावंड ने शैक्षणिक योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरवादी क्रमांक 6 तुलसी राम को कोटवार नियुक्त किया, क्योंकि याचिकाकर्ता केवल कक्षा 9 उत्तीर्ण था, जबकि श्रीमती पदमा बाई एवं सोनाधर निरक्षर थे, फूलचंद अल्पवयस्क था तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107-116 के अंतर्गत एक दांडिक प्रकरण लंबित था। अतएव, उत्तरवादी क्रमांक 6 को उक्त पद हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया तथा दिनांक 09.05.2001 के आदेश द्वारा उसे कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) उत्तरवादी क्रमांक 8 ने अतिरिक्त कलेक्टर, जगदलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त कलेक्टर ने दिनांक 28.08.2002 के आदेश द्वारा अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत, कोहकापाल को कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु नवीन प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायत, कोहकापाल ने दिनांक 19.04.2003 के अपने प्रस्ताव में प्रकरण पर विचार करने के उपरांत उत्तरवादी क्रमांक 6 के नाम की अनुशंसा कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु की।

(4) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर ने दिनांक 15.07.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 7 एवं उत्तरवादी क्रमांक 8 द्वारा पृथक-पृथक प्रस्तुत अपीलों को निरस्त कर दिया।

(5) अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2005 द्वारा याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए ग्राम कोहकापाल के कोटवार के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) उक्त आदेश से व्यथित होकर उत्तरवादी क्रमांक 6 ने राजस्व प्रकरण क्रमांक R.N./01/R/A-56/596/2006 में राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। राजस्व मंडल ने समस्त पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि कोटवार की नियुक्ति का अधिकार तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतिरिक्त कलेक्टर को याचिकाकर्ता को कोटवार नियुक्त करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। यह भी अभिलिखित किया गया कि ग्राम पंचायत, कोहकापाल द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 6 के नाम की अनुशंसा की गई थी। अतः, संबंधित नियमों के नियम 4(1) के अधीन उत्तरवादी क्रमांक 6 को उक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया तथा दिनांक 09.05.2001 के आदेश द्वारा उसे कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया।

(4) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर ने दिनांक 15.07.2005 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता, उत्तरवादी क्रमांक 7 तथा उत्तरवादी क्रमांक 8 द्वारा पृथक-पृथक प्रस्तुत अपीलों को निरस्त कर दिया।

(5) अतिरिक्त कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 15.07.2005 द्वारा याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए ग्राम कोहकापाल के कोटवार के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति करने का निर्देश दिया।

(6) उक्त आदेश से व्यथित होकर उत्तरवादी क्रमांक 6 ने राजस्व प्रकरण क्रमांक R.N./01/R/A-56/596/2006 में राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत किया। राजस्व मंडल ने समस्त पक्षकारों को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि कोटवार की नियुक्ति का अधिकार क्षेत्र तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के अंतर्गत आता है। अतिरिक्त कलेक्टर को याचिकाकर्ता को कोटवार नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। ग्राम पंचायत, कोहकापाल द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 6 के नाम की अनुशंसा की गई थी। अतः, कोटवारों की नियुक्ति, दंड एवं पदच्युति तथा उनके कर्तव्यों संबंधी नियमों के नियम 4(1) के अधीन, अपीलीय प्राधिकारी केवल तुलसी राम की नियुक्ति की वैधता का परीक्षण कर सकता है, इस सीमा तक कि नियुक्ति विधिसंगत एवं उचित है या नहीं। फलस्वरूप, अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2006 (अनुलग्नक पी./6) निरस्त कर दिया गया तथा तहसीलदार, जगदलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2003 (अनुलग्नक पी./4), जिसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जगदलपुर द्वारा दिनांक 15.07.2005 (अनुलग्नक पी./5) से पुष्टि की गई थी, यथावत् बनाए रखा गया।

(7) अभिलेखों के अवलोकन एवं विधि के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने पर यह प्रतीत होता है कि राजस्व मंडल द्वारा किया गया विश्लेषण तथा उसके आधार पर पारित आदेश त्रुटिरहित है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अतः, भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका खारिज की जाती है।

(8) फलस्वरूप, अंतरिम अनुतोष एवं स्थगन हेतु प्रस्तुत आवेदन, आई.ए. क्रमांक 1, भी निराकृत किया जाता है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**